

एफ.21(103)सम.एवं व्यय./ई.निविदा/19-20/ 53

दिनांक: 22/7/19

मैसर्स जॉब स्टार,
94/1 शीतलामाता मंदिर के सामने,
जे.एल.एन. रोड़, अजमेर।

विषय:- जॉब बेसिस पर श्रमिक उपलब्ध करवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्तविषयान्तर्गत लेख है कि आयोग द्वारा जारी ई-बिड संख्या 17 दिनांक 20.05.2019 में आप द्वारा प्रस्तुत दरों एवं श्रम विभाग, राजस्थान, सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7182, दिनांक 06.03.2019 की अनुसूची "भाग-II" में अंकित न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिमाह राशि रु. 5850/- प्रतिदिन राशि रु. 225/- केक्रम में निम्नानुसार अनुमोदित किया जाता है :-

1. सेवा का नाम	जॉब बेसिस
2. श्रमिक की श्रेणी	अकुशल
3. न्यूनतम मजदूरी	रु. 5850/-
4. श्रमिकों की संख्या	35
5. ई.पी.एफ 13 प्रतिशत	रु. 760.50
6. ई.एस.आई 4.75 प्रतिशत	रु. 277.875
7. सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज	रु. 0.01

न्यूनतम मजदूरी, ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.जी.एस.टी. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन अनुसार देय होगी। दिनांक 01.08.2019 से प्रतिदिन आयोग कार्यालय में जॉब-बेसिस पर श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे तथा कार्य की आवश्यकतानुसार श्रमिकों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। उपरोक्त कार्य समन्वय एवं व्यवस्था अनुभाग के निर्देशन में सम्पादित करना होगा एवं कार्य की रिपोर्ट अनुभाग अधिकारी सम.एवं. व्यवस्था को देनी होगी। इस कार्यादेश के जारी होने की दिनांक से 10 दिवस में कार्य की माह मार्च, 2020 तक अनुमानित लागत राशि रु 22,77,000/- का 5 प्रतिशत रु. 1,13,850/- बिड सुरक्षा राशि जमा करानी होगी तथा 500/- रु. नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प में अनुबंध निष्पादन कराना होगा।

भवदीय,

(के.के. शर्मा)
सचिव
o/c